न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 69/22 दायरा दिनांक 05.12.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. नाथूलाल उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व. गजनलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. तिलक उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व. गजनलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. बाबूलाल पुत्र पांच्या जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राज.

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91 आर. टी. एक्ट 1955

निर्णय दिनांक– 13.06.2024

उपस्थित – वादीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – एकपक्षीय

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि ग्राम सेमलीफाटक पटवार हल्का सेमलीफाटक तहसील शाहावाद में आराजी ख.नं. 68 रकबा 1.10 बीघा, ख.नं. 83 रकबा 1.07 बीघा, ख.नं. 88 रकबा 1.03 बीघा, ख.नं. 352/829 रकबा 2.05 बीघा एवं ख.नं. 588 रकबा 5.04 बीघा कुल किता 5 कुल रकवा 10.19 बीघा स्थित है, जिसे वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी के मूल खातेदार वादी कम 1, 2 के पितामह तथा वादी कम 3 के पिता पांच्या पुत्र गिरधारी किराड निवासी सेमलीफाटक रहे हैं, वादी कम 1, 2 के पिता गजनलाल का देहान्त पांच्या के जीवनकाल में ही हो गया था तथा वादी कम 1, 2 की माता का देहान्त वादी के पिता गजनलाल के जीवनकाल में ही हो गया, इस तरह वादी कम 1, 2 का पालन पोषण वादीगण के काकाजी बाबूलाल अर्थात वादी कम 3 ने किया है। पांच्या पुत्र गिरधारी की मृत्यु उपरांत दिनांक 30.01.1997 को खोले गये नामान्तरकरण संख्या 567 में वादी कम 1, 2 को विरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है, जबकि ग्राम सेमलीफाटक की ही अन्य आराजीयात में वादी कम 1,2 को पांच्या की मृत्यु उपरांत हिस्सा दिया गया है। वादी कम 1, 2 मृत खातेदार पांच्या के पूर्व मृत पुत्र गजनलाल के पुत्र होने से विवादित आराजी में कानूनन हिस्सा प्राप्त करने के हकदार थे, इस कारण नामान्तरकरण संख्या 567 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। पांच्या की मृत्यु के समय उनके वारिसान का सजरा निम्न प्रकार था –

13/06/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

पांच्या पुत्र गिरधारी

पुत्र	पुत्री	वेवा
1–बाबूलाल	1–कूरी	सुन्दर
2–गजनलाल (पूर्व मृत)	2–कंचन	
2/1–नाथूलाल		
2/2–तिलक		

उक्त वारिसान में से वादी कम 1,2 की दादी सुन्दर का देहान्त हो चुका है तथा वादी कम 1,2 की बुआ कूरी व कंचन ने अपना हिस्सा वादी कम 3 के पक्ष में तर्क कर दिया है। नामान्तरकरण संख्या 567 तस्दीक के समय पांच्या के खाते में 36.03 बीघा भूमि थी, जिसमें से वर्तमान में 10.19 बीघा शेष बची है और 25.04 बीघा भूमि वादी कम 3 की मां व बहनों ने विक्रय कर दी है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा होता है, इस विकीत आराजी में से वादी कम 1,2 अपने हिस्सा क्लेम का परित्याग करते हैं और शेष भूमि 10.19 बीघा में अपने हिस्सा 1/4 पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के हकदार हैं, आदि।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। जबाव हेतु प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिये गये, परन्तु प्रतिवादी द्वारा कोई जबाव पेश नहीं करने से जबाव अवसर बंद किया गया। विवादित आराजी ख.नं. 68 रकबा 1.10 बीघा, ख. नं. 83 रकबा 1.07 बीघा, ख.नं. 88 रकबा 1.03 बीघा, ख.नं. 352/829 रकबा 2. 05 बीघा एवं ख.नं. 588 रकबा 5.04 बीघा कुल किता 5 कुल रकवा 10.19 बीघा ग्राम सेमलीफाटक तहसील शाहावाद पांच्या पुत्र गिरधारी कोम किराड के खाते की होना नकल नामान्तरण संख्या 567 ग्राम सेमलीफाटक से साबित है। खातेदार पांच्या की अन्य आराजी ग्राम खादरी तहसील शाहावाद में भी स्थित रही है जिसकी विरासत नामान्तरण संख्या 46 से दर्ज की गई है और इस विरासत में मृत पुत्र गजनलाल के स्थान पर वादी कम 1 व 2 के नाम दर्ज हैं, इससे यह तथ्य निर्विवाद साबित है कि वादी कम 1, 2 खातेदार पांच्या के मृत पुत्र गजनलाल के वारिस हैं। खातेदार पांच्या के खाते में विवादित आराजी सहित कुल भूमि किता 10 रकबा 36.03 बीघा दर्ज रही है, जिसका उल्लेख नकल नामान्तरण 567 में किया गया है, कुल भूमि 36.03 बीघा में से दर्ज खातेदारान द्वारा 25.04 बीघा भूमि विक्रय कर दिये जाने का कथन किया गया है और विकीत भूमि में वादी कम 1, 2 ने अपने हकाधिकारों का परित्याग करते हुये वर्तमान में दर्ज विवादित आराजी 10.19 बीघा में अपना हिस्सा 1/4 के बावत खातेदारी घोषणा चाही है। खातेदार पांच्या पुत्र गिरधारी की मृत्यु के समय पत्नि सुन्दर पुत्र बाबूलाल पुत्रियां कूरी व कारी तथा मृत पुत्र गजनलाल के वारिस अर्थात वादी कम 1, 2 के मौजूद होते हुये विरासत पत्नि सुन्दर पुत्रीयां कूरी व कंचन तथा वेवा सुन्दर के नाम दर्ज की गई है, बाद में वेवा सुन्दर के फोत होने पर सुन्दर का नाम खाते से हटा दिया गया ततपश्चात कूरी व कंचन द्वारा अपने हिस्से का त्याग वादी कम 3 बावूलाल के हक में किये जाने से सम्पूर्ण विवादित आराजी

13/06/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

वादी कम 3 बाबूलाल के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार वादी कम 1, 2 मृत खातेदार पांच्या के पूर्व मृत पुत्र गजनलाल के वैध वारिस होने से विवादित आराजी ख.नं. 68 रकबा 1.10 बीघा, ख.नं. 83 रकबा 1.07 बीघा, ख.नं. 88 रकबा 1.03 बीघा, ख.नं. 352/829 रकबा 2.05 बीघा एवं ख.नं. 588 रकबा 5.04 बीघा कुल किता 5 कुल रकवा 10.19 बीघा ग्राम सेमलीफाटक तहसील शाहावाद में हिस्सा 1/4 के वैधानिक हकदार पाये जाते हैं, जिसमें वादी कम 3 सहमत है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 68 रकबा 1.10 बीघा, ख.नं. 83 रकबा 1.07 बीघा, ख.नं. 88 रकबा 1.03 बीघा, ख.नं. 352/829 रकबा 2.05 बीघा एवं ख.नं. 588 रकबा 5.04 बीघा कुल किता 5 कुल रकवा 10.19 बीघा ग्राम सेमलीफाटक तहसील शाहावाद में से हिस्सा 1/4 का वादी कम 1, 2 को खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलं शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

13/06/2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद